विज्ञप्ति

वन विभाग

संख्या एफ 15(217)राज/वन/58/जयपुर   दिनांक 19-1-1959

विज्ञप्ति संख्या एफ 23(200)रेवे/43-42-1-12188 दिनांक 2-2-54 में संलग्न अनुसूचि (अ) में वर्णित जिस भूमि को आरक्षित वन राजस्थान वन अधिनियम (अधिनियम संख्या 13 सन 1953) के अन्तर्गत बनाना प्रस्तावित किया गया था

और उपरोक्त अधिनियम के अनुसार जो भूमि में अधिकारों के दावे प्रस्तुत करने की निश्चित अवधि समाप्त हो चुकी है ।

और जो कि अनुसूचि (अ) में अंकित मात्रा तक दावे स्वीकृत कर लिये गये है और अनुदान (जो राजस्थान सरकार के इच्छानुसार वापिस लिये जा सकते है) प्रदत्त कर दिये गये है ।

अतः इसके द्वारा यह ज्ञापन किया जाता है कि उक्त अनुसूचि में वर्णित ग्राम समूह अनुसूचि में अंकित मात्रा तक तथा उन ऋतु में व वन के उन भागों में व उन नियमों के अन्तर्गत जो कि समय समय पर राजस्थान सरकार निर्धारित करें उपभोग करते रहेंगे । इसके द्वारा यह भी ज्ञापन किया जाता है कि राज्य सरकार उक्त वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत उक्त भूमियों को दिनांक 1-4-59 से आरक्षित वन घोषित करती है ।

राज्य पाल की आज्ञा से,
एसडी/
राजस्व सचिव

अनुसूचि-अ

जिला	परगना	पटी	वनखण्ड	अन्दाजिया रकबा	हदूदसीमा	विशेष विवरण
उदयपुर	सराड़ा	-	फलोदड़ा	3166 एकड	सीमा रेखा विवरण का परिशिष्ठ(अ) संलग्न है ।	

नोटः-राजस्थान राजपत्र दिनांक 3-9-59 भाग 1(ख) के पृष्ठ संख्या 14 पर प्रकाशित हुआ है ।

TRUE COPY

उपवन संरक्षक
उदयपुर (दक्षिण)

C.S

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर